

फर्द अहकाम

2022/151

सदस्य कुलकर्णी यशमं

कुलकर्णी बनाम बालू वर्मा

66 / 2022

संख्या / वर्ष T.D.

अनर्गत धारा 212 रा. अ. क.
आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

25/8/22

सुरेश कुमार चव्हाळ वकील ने अस्थायी
निवेदना मा. पत्र पेश किया। रिपोर्ट
के मुझे डे मा. पत्र दर्ज रजिस्टर
का बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी
गयी। उक्त पत्र के परिचय अनुसार
अस्थायी निवेदना से इस तरह पावट
क्रिया जाता है कि विक्रित आ. ख.
नं. 1595, 1596, 1597, 1600, 1601
कुल किला 5 का कुल रकबा 4.04 है।
ग्राम वीरे ग्राम आखी कला तह. यशमं
जिला जयपुर के मॉडे व रिकार्ड के
यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश
दिये जाते हैं। रहन व विरासत के
नामान पर उक्त यथास्थिति का
आदेश प्रभावी नहीं होगा। अप्रार्थी
गण के तलबी परिचय रि. ए. डी.
से करवायी जाकर तालिल रिपोर्ट तथा
Tracking Report के साथ आगामी
तारीख पेशी तक पेश करना सुनिश्चित
करे। अन्यथा उक्त यथास्थिति आदेश
स्वतः स्वयं समूचा जावेगा। उक्त
मोर्चे आपत्ति है तो आगामी दिनांक
31/10/22 को पेश करे। तलबी क्रमांक
688

31/10/22

प्रसाइडिंग ऑफिसर वीरे/अवकाश
पर है। अतः अंतिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 30/10/22
को पेश हो।

क्र.सं.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

30/12/22

वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 13/1/23 को पेश हो।

13/1/23

वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 29/5/23 को पेश हो।

29/5/23

प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/6/23 को पेश हो।

14/6/23

पत्रावली अतः प्रथम गौड के संग अग्रिम दिनांक 21/8/23 / कैम्प कोर्ट ग्राम 3114/2021 में पेश हुई। अतः कारण उप / अन दिनांक 11/8/23 को पेश हो।

11/8/23

प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21/11/23 को पेश हो।

21/11/23

वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थितिगत रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 04/11/24 को पेश हो।

04/11/24

प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/3/24 को पेश हो।

18/3/24

पत्रावली चैरा / न्यायालय का समय समाप्त होने तक बार-बार न्यायाधीश क्लर्क / न्यायाधीश प्रबलान के व न्यायालय न्यायपरिषद हेतु अतः पत्रावली अतः आज ही अग्रिम फॉर्म में खारिज किया जाता है पत्रावली अतः न्यायाधीश के अंतर्गत न्यायालय के अंतर्गत।